

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला बस्तर, जगदलपुर(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/क/रीडर/2020

जगदलपुर, दिनांक 29/05/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक क/रीडर/2020 जगदलपुर, दिनांक 17/05/2020 के कंडिका 08 के अनुसार 31 मई 2020 तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को आवश्यक सेवाये प्रदान करने वाले कुछ प्रतिष्ठान को छोड़कर शेष प्रतिष्ठान को प्रतिबंधित किया गया है ।

2/- उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आगामी आदेश पर्यन्त तक रविवार को छोड़कर प्रत्येक शनिवार को मात्र एक दिन बस्तर जिले में सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा ।

3/- साथ ही पूर्व में जारी आदेश दिनांक 17.05.2020 के अनुक्रम में बस्तर जिले में अन्य गतिविधिया टेक्सी/जीप/ऑटो रिक्सा/रिक्शा/ई-रिक्शा को परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

उपरोक्त आदेश एवं समय-समय पर जारी प्रतिबंध एवं उसमें दी गई छुट आदेश के अन्य शर्तें यथावत् रहेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।




पृ0क्र0/क/रीडर/2020

जगदलपुर, दिनांक 29/05/2020

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।



(रजत बंसल)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर

5. पुलिस अधीक्षक, जगदलपुर, जिला बस्तर ।
6. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला बस्तर, जगदलपुर ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर ।
8. आयुक्त नगर पालिक निगम जगदलपुर ।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला बस्तर ।
10. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला बस्तर ।
11. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला बस्तर ।
12. उप संचालक, जनसम्पर्क जिला बस्तर ।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बस्तर जिला ।
14. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत बस्तर, जिला बस्तर ।
15. सर्व थाना प्रभारी, जिला बस्तर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।




(रजत बंसल)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बस्तर